

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी राजीव बडगूजर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 132 / 2007 वाद

दायर दिनांक 17.05.2007

उनवान

- | | |
|--|--|
| 1. रतनलाल पिता जयचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी सण्डीयारड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। | 1. हंसराज उर्फ हेमराज पिता भेरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी सण्डीयारड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। |
| 2. शंकरलाल पिता जयचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी सण्डीयारड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। | 2. सुरजमल पिता मुतबन्ना मगनीराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी सण्डीयारड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। |
| | 3. वरजी पत्नि मगनीराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी सण्डीयारड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। |
| | 4. बोललाल पिता भेरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी सण्डीयारड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। |
| | 5. शंकरी पुत्री भेरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी सण्डीयारड़ा पत्नी गिरधारी जाट हाल मुकाम छापरी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। |
| | 6. उदा पिता मोती जाति जाट आयु वयस्क निवासी सण्डीयारड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। |
| | 7. भगवान लाल पिता मादु जाति जाट आयु वयस्क निवासी सण्डीयारड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। |
| | 8. मु0 दाखी पत्नी माधु जाति जाट आयु वयस्क निवासी सण्डीयारड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। |
| | 9. चुन्नीलाल पिता भूरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी सण्डीयारड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। |
| | 10. भूमिधारी तहसीलदार कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। |

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट,
एकतरफा

-वादीगण
-प्रतिवादी सं0 1 से 8

-: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :-

निर्णय दिनांक: 03.09.2024

-:निर्णय:-

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 के अन्तर्गत स्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा सण्डीयारड़ा तहसील कपासन के हल्के बैरुनी के जमाबन्दी संवत् 2062-2065 के खाता संख्या 33 में आराजी नम्बर 141, 142,



143, 157, 158, 159, 160, 302, 303, 304, 305, 581, 584, 585, 614, 615, 618, 1209/301 कुल किता 18 कुल रकबा 5.76 हैक्ट0 स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 तक के संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज होकर वादीगण का उक्त आराजीयात में 1/6 हिस्सा दर्ज है।

यह कि मौजा सण्डीयारडा के हल्के बैरुनी के जमाबन्दी संवत् 2062-2065 के खाता संख्या 32 में आराजी संख्या 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 253, 254, 293, 294, 295, 296, 297, 300, 408, 413, 414, 415, 68 कुल किता 20 कुल रकबा 5.98 हैक्ट0 स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच में आपसी समझौते के आधार पर हिस्से अनुसार आपसी बंटवाडा कर रखा है तथा अपने अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं लेकिन सभी खातेदारान का नाम रेवेन्यु रेकार्ड में संयुक्त नाम दर्ज होने से लगान जमा कराने सम्बन्धी एवं अन्य कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पडता है जिससे वादीगण का रेवेन्यु रेकार्ड के आधार पर जो हिस्सा है उसे अपने मौके पर काबीज के अनुसार रेवेन्यु रेकार्ड में अलग दर्ज कराया जाकर अलग खातेदारी दर्ज कराया जाना आवश्यक है। तथा प्रत्येक प्रतिवादीगण का भी हिस्से एवं कब्जे के आधार पर रेवेन्यु रेकार्ड में खाता अलग दर्ज कराया जाना आवश्यक है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार मौखिक रूप से आपसी बटवाडा करा लेने सम्बन्धी कहा लेकिन सभी प्रतिवादीगण एक साथ बटवाडा कराने के लिये तैयार नहीं होते हैं तथा आना कानी करते हैं जिससे यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हो गया है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को अन्तिम बार दिनांक 02/04/2007 को बंटवाडा करा लेने बाबत कहा तो सभी प्रतिवादीगण एक साथ बंटवाडा करा लेने को तैयार नहीं है जिससे बिनाय दावा पैदा हुई जिसकी शुरुआत दिनांक 02/04/2007 को पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में वादीगण की प्रार्थना है कि

— बहक वादीगण इस आशय की डिक्री बक्षाई जावे कि वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजीयात में वादीगण का रेवेन्यु रेकार्ड के आधार पर जो भी हिस्सा बनता है उस हिस्से को वादीगण के कब्जे के आधार पर रेवेन्यु रेकार्ड में अलग खाते दर्ज कराया जावे। एवं प्रतिवादीगण का भी प्रत्येक का रेवेन्यु रेकार्ड के आधार पर हिस्से अनुसार खाता अलग दर्ज कराया जावे। एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण वर्तमान में जिस जगह पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं उसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दर्ज कराया जाने की डिक्री बक्षाई जावे। एक लगान भी प्रत्येक का अलग दर्ज कराया जावे।

— अन्य कोई दाद जो मुफिद वादीगण हो वह भी दिलाई जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 26.06.2007 को एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 9 की ओर इकबालिया जवाब प्रस्तुत जो शा0फा0 है।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 20.11.2007 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 01.02.2024 से प्रस्तुत जो दिनांक 16.07.2024 से शा0फा0 की गयी। वकील वादीगण की बहस एकतरफा सुनी गई। वादी व वकील वादीगण द्वारा बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। आज दिनांक 03.09.2024 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा सण्डीयारडा पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन के हल्के बैरुनी के हाल खाता संख्या 114 में दर्ज

आराजी नम्बर 141, 142, 143, 157, 158, 159, 160, 302 कुल किता 08 कुल रकबा 4.14 हैक्ट0, खाता संख्या 159 में दर्ज आराजी संख्या 303, 304, 305, 581, 584, 585, 614, 615, 618, 1209/301 कुल किता 10 कुल रकबा 1.62 हैक्ट0 तथा हाल खाता संख्या 115 में दर्ज आराजी संख्या 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 253, 254, 293, 294, 295, 296, 297, 300, 408, 413, 414, 415, 68 कुल किता 20 कुल रकबा 5.98 हैक्ट0 स्थित है में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 01.02.2024 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है—

खाता संख्या 114 का विभाजन इस प्रकार है—

1. रतनलाल हिस्सा 1/2, शंकरलाल हिस्सा 1/2 पिता जयचंद जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	141 मी0	0.66
योग	कुल किता-01	0.66

2. कालूराम पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा 1/10 जाति जाट रहन बदस्तूर, किशनलाल पुत्र उदा हिस्सा 5957/39720 जाति जाट, पृथ्वीराज पुत्र उदा हिस्सा 5957/39720 जाति जाट, बोटलाल पुत्र भेरा हिस्सा 1589/19860 जाति जाट, भगवानलाल पुत्र माधू हिस्सा 3971/19860 जाति जाट, रोशनलाल पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा 1/10 जाति जाट रहन बदस्तूर, वरजी पत्नी मगनीराम हिस्सा 1193/39720 जाति जाट, शंकरी पुत्री भेरा हिस्सा 298/4965 जाति जाट, सुरजमल दत्तक पुत्र मगनीराम हिस्सा 1987/39720 जाति जाट, हेमराज पुत्र भेरा हिस्सा 1589/19860 जाति जाट, सा0 देह खातेदार

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	141/1	0.42
2	142	0.55
3	143	0.54
4	157	0.48
5	158	0.47
6	159	0.42
7	160	0.43
योग	कुल किता-07	3.31

3. कालूराम पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा 1/12 जाति जाट रहन बदस्तूर, किशनलाल पुत्र उदा हिस्सा 1/8 जाति जाट, पृथ्वीराज पुत्र उदा हिस्सा 1/8 जाति जाट, बोटलाल पुत्र भेरा हिस्सा 1/15 जाति जाट, भगवानलाल पुत्र माधू हिस्सा 1/6 जाति जाट, रतनलाल पुत्र जयचंद हिस्सा 1/12 जाति जाट रहन बदस्तूर, रोशनलाल पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा 1/12 जाति जाट रहन बदस्तूर, वरजी पत्नी मगनीराम हिस्सा 1/40 जाति जाट, शंकरलाल पुत्र जयचंद हिस्सा 1/12 जाति जाट रहन बदस्तूर, शंकरी पुत्री भेरा हिस्सा 1/20 जाति जाट, सुरजमल दत्तक पुत्र मगनीराम हिस्सा 1/24 जाति जाट, हेमराज पुत्र भेरा हिस्सा 1/15 जाति जाट, सा0 देह खातेदार

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	302	0.17
योग	कुल किता-01	0.17

खाता संख्या 159 किता 10 रकबा 1.62 हैक्ट0 में वादी रतनलाल, शंकरलाल पिता जयचंद जाति जाट का नाम खातेदारी भूमि में दर्ज रेकार्ड नहीं है।

खाता संख्या 115 का विभाजन इस प्रकार है—

1. रतनलाल हिस्सा 1/2, शंकरलाल हिस्सा 1/2 पिता जयचंद जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	253 मी0	0.47
2	254	0.12
3	413	0.97
4	414	0.30
5	415	0.05
योग	कुल किता-05	1.91

2. कालूराम पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा 1/4 जाति जाट रहन बदस्तूर, रोशनलाल पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा 1/4 जाति जाट रहन बदस्तूर, भगवानलाल पुत्र माधू हिस्सा 1/2 जाति जाट, सा0 देह खातेदार

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	69	0.44
2	70	0.46
3	71	0.13
4	72	0.15
5	73	0.42
6	74	0.46
7	75	0.23
8	253/1	0.11
9	293	0.05
10	294	0.03
11	295	0.50
12	296	0.40
13	297	0.15
14	300	0.21
15	408	0.08
योग	कुल किता-15	3.82

3. कालूराम पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा 1/6 जाति जाट रहन बदस्तूर, भगवानलाल पुत्र माधू हिस्सा 1/3 जाति जाट, रतनलाल पुत्र जयचंद हिस्सा 1/6 जाति जाट रहन बदस्तूर, रोशनलाल पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा 1/6 जाति जाट रहन बदस्तूर, शंकरलाल पुत्र जयचंद हिस्सा 1/6 जाति जाट रहन बदस्तूर, सा0 देह खातेदार

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	68	0.25
योग	कुल किता-01	0.25

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तूर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 03.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजीव बडगूजर)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

